2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान पूर्व में सुनी जा चुकी है। आज निर्णय सुनाया जाना है।

अधिवक्ता आवेदिका ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पदेवा पटवार मण्डल दलेलपुरा तहसील खेतड़ी की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 27 के हाल खसरा नम्बर 243, 245, 248, 262, 263, 289 कुल किता 6 रकबा 6.76 हेक्टेयर भूमि की आवेदिका एंकाकी रूप से खातेदार काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 0.85 हेक्टेयर में आवेदिका ने पुख्ता कूप बना रखे है तथा वही पर आबाद है। खसरा नम्बर 263 रकबा 0.85 हेक्टेयर भूमि में आवागमन के लिये अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 8 की भूमि खसरा नम्बर 264 रकबा 0.23 हेक्टेयर की पूर्व से पश्चिमी दिशा की ओर दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे आवेदिका की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 263 तक रास्ता है जो पगडण्डी के रूप में मौजूद है। इसके अलावा और कोई रास्ता ना तो मौके पर है तथा ना ही रिकार्ड में है। इस रास्ता का नजरी नक्शा एवं राजस्व विभाग का नक्शा पत्रावली में संलग्न है। अधिवक्ता आवेदिका ने बहस के अन्त में कथन किया कि आवेदिका को उसके खेत खसरा नम्बर 263 में आवागमन के लिये अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 8 के खेत खसरा नम्बर 264 रकबा 0.23 हेक्टेयर की पूर्व से पश्चिमी की ओर दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 12 फुट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जावे ताकि आवेदिका अपने खेत खसरा नम्बर 263 में आवागमन कर सके।

विद्वान अधिवक्ता अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 8 ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पदेवा में पदेवा से ढ़ाणी बारावाली को जाने वाले कटानी रास्ता खसरा नम्बर 294 से भूमि खसरा नम्बर 235, 236, 237 की दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे आबादी भूमि खसरा नम्बर 247 तक रास्ता मौके पर मौजूद है जिसे राजस्व रिकार्ड में डोटेड लाईन से दर्शित किया गया है। आवेदिका की भूमि खसरा नम्बर 245 की सीमा उक्त रास्ते एवं आबादी को टच करती है। आवेदिका की एंकाकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 289 जो राजस्व भूमि खसरा नम्बर 293 किस्म नदी नाला के समीप पूर्व दक्षिण दिशा में स्थित है जिसे जोतने के लिए आवेदिका खसरा नम्बर 293 में से आवागमन करती है। खसरा नम्बर 243 व 245 की सीमा भी खसरा नम्बर 293 को टच करती है। इस लिहाज से आवेदिका को अपने खेत खसरा नम्बर 243, 245, 248, 262, 263 में आवागमन के लिए दो तरफ से रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 13:16:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मौजूद है। आवेदिका अपने खेत खसरा नम्बर 263 में आबाद न होकर खेत खसरा नम्बर 245 में आबाद है। आवेदिका के पास पहले से रास्ता मौजूद होने के बावजूद भी अनावेदकगण को परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र अनावेदकगण के विरूद्ध पेश किया है। अधिवक्ता अनावेदकगण ने बहस के अन्त में कथन किया कि आवेदिका के पास पहले से ही दो तरफ के रास्ते मौजूद है जिसके कारण आवेदिका को वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं होता है तथा न ही आवेदिका को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। अतः आवेदिका का आवेदन पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिजे काबिल योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त अवलोकन परीक्षण किया गया और दोनों पक्षों के योग्य विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् से स्पष्ट हुआ है कि ग्राम पदेवा में पदेवा से ढ़ाणी बारावाली को जाने वाले कटानी रास्ता खसरा नम्बर 294 से भूमि खसरा नम्बर 235, 236, 237 की दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे आबादी भूमि खसरा नम्बर 247 तक रास्ता मौके पर मौजूद है जिसे राजस्व रिकार्ड में डोटेड लाईन से दर्शित किया गया है। आवेदिका की भूमि खसरा नम्बर 245 की सीमा उक्त रास्ते एवं आबादी को टच करती है। आवेदिका अपने खेत खसरा नम्बर 263 में निवास न करके खेत खसरा नम्बर 245 रकबा 1.32 हेक्टेयर में पुख्ता आवासीय मकानात बनाकर परिवार सहित आबाद है। आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र में अंकित किया है कि आवेदिका भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 0.85 हेक्टेयर में आवेदिका ने पुख्ता कूप बना रखे है तथा वही पर आबाद है। खसरा नम्बर 263 रकबा 0.85 हेक्टेयर भूमि में आवागमन के लिये अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 8 की भूमि खसरा नम्बर 264 रकबा 0.23 हेक्टेयर की पूर्व से पश्चिमी दिशा की ओर दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे आवेदिका की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 263 तक रास्ता है जो पगडण्डी के रूप में मौजूद है। इसके अलावा और कोई रास्ता ना तो मौके पर है तथा ना ही रिकार्ड में है। जबकि वास्तविक रूप से आवेदिका अपने खेत खसरा नम्बर 263 में निवास न करके खेत खसरा नम्बर 245 रकबा 1.32 हेक्टेयर में पुख्ता आवासीय मकानात बनाकर परिवार सहित आबाद है। आवेदिका ने ऐसा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 8 के खेत खसरा नम्बर 264 रकबा 0.23 हेक्टेयर में रास्ता है जो पगडण्डी के रूप में मौजूद है तथा आवेदिका को उसके खेत खसरा नम्बर 263 में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध हो तथा रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक हो।

आवेदिका के खेत खसरा नम्बर 243, 245, 248, 262, 263 की सीमायें आपस में मिली हुई है। जो आवेदिका की एकाकी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। आ[illegible] खसरा नम्बर 263 व 245 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक [illegible] से मौजूद है। आवेदिका को वैकल्पिक [illegible] है तथा रास्ते की आवश्यकता अ[illegible] नहीं है। आ[illegible] यह साबित करने में असफल रही है कि [illegible] रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है तथा वैकल्पिक रास्ते का अभाव है व मांग किया [illegible] रास्ता उसकी जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार आवेदिका का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। आवेदिका का हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा खर्चा पक्षकारान अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 13:16:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

अपना वहन करें। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16–03–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 13:16:22 IST
Reason: SelfAttested